टी बोर्ड
14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700001

फाइल सं 23(10)/स्था/2015/748

दिनांक: 25-09-2023

परिपत्र

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या **K**-28022/7/2022-**FT** (समन्वय) दिनांक 19-09-2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से सभी संबंधितों को यह निदेश दिया गया था कि "2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक की अवधि में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान 3.0" का आयोजन किया जाए।

मंत्रालय के निदेशों का पालन करने के लिए, टी बोर्ड लंबित वीआईपी संदर्भों/सांसदों और आईएमसी संदर्भों, लोक शिकायतों और पीजी अपीलों, संसद आश्वासनों को निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। उक्त अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण अंश पुरानी/लुप्तप्रयोग फाइलों को हटाने के लिए उनकी समीक्षा/पहचान करना है।

तदनुसार, सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे समीक्षा करने और पुरानी/लुप्तप्रयोग फाइलों को हटाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। वर्ष 1998 से पहले की सभी पुरानी फाइलों की पहचान की जानी चाहिए और उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्र.सं	विवरण	
(क)	फाइलों का रिकार्ड प्रबंधन	
i.	समीक्षा हेतु देय फ़ाइलों की कुल संख्या	
ii.	समीक्षा की गई फ़ाइलों की कुल संख्या	
iii.	हटाने के लिए पहचानी गई फाइलों की कुल संख्या	
iv.	हटाई गई फ़ाइलों की कुल संख्या	
v.	डिजिटलीकृत फाइलों की कुल संख्या	
(ख)	स्क्रैप निपटान	
i.	कुल संख्या खाली की गई जगह (वर्ग फुट में)	
ii.	स्क्रैप के निपटान के बाद उत्पन्न राजस्व (रुपये में)	

यह अनुरोध किया जाता है कि आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ई-मेल आईडी: secytboard@gmail.com और sostores.tbi@gmail.com पर 29.09.2023 तक की गई कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

संगलग्न: यथाकथित

(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव प्रभारी
व
विशेष अभियान 3.0 के नोडल पदाधिकारी

वितरण:

1.	मुख्यालय कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
2.	कार्यपालक निदेशक, कून्नूर व गुवाहाटी।	अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन कार्यालयों में आवश्यक कार्यवाही करने के अनुरोध सहित।
3.	उ.नि.चा.वि, सिलिगुडी, वि.अ.(उ.प.भा), फै.स.अ., पालमपूर	अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन कार्यालयों में आवश्यक कार्यवाही करने के अनुरोध सहित।
4.	बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय	सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
5.	स.अनु.नि(पीसीबी)	कृपया समन्वय हेतु।
6.	उपाध्यक्ष/निचावि/वि.स.एवंमु.ले.अ./सचिव के निजी सहायक	
7.	संपदा अधिकारी	आवश्यक कार्रवाई हेतु
8.	आईटी कक्ष	वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
9.	सचिवालय शाखा	
10.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित